Affidavit No.- 5059 Date 23/02/2026

WELFARE STAMP ₹ 25 बिहार BIHAR पच्चीस रुपये Rs. Twenty Five BRECR008C26020001015 06 Feb 2026

भारत INDIA 100 रुपये RUPEES ONE HUNDRED SPECIAL ADHESIVE

NOTARY GOVT. OF BIHAR Reg. No:-127 Expiry Date 18-04-2028

Original Application No. – 21/2025/EZ

In the Matter of :

दीक्षा भारती .... आवेदक

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य.. प्रतिवादी

प्रतिवादी संख्या – 4 नगर आयुक्त, नगर निगम, सहरसा के जवाबी हलफनामे के विरूद्व आवेदक का प्रत्युत्तर।

Amrendra Kumar Trivedi
NOTARY PUBLIC
Civil Court,Saharsa

शपथपत्र

मैं दीक्षा भारती, वार्ड पार्षद – वार्ड नं0 – 13, नगर निगम, सहरसा उपरोक्त मामले की आवेदिका है, सत्यनिष्ठा से प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत हलफनामे के विरूद्व निम्नलिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत करती हूँ –

1. **सफाई के दावों का खंडन (Refutation of Para 10)** – प्रतिवादी का यह दावा कि तालाब को 'व्यापक और सुक्ष्मता' से साफ किया गया है जो पूरी तरह भ्रामक है, जबकि धरातल पर तालाब में गाद और जलीय खरतवार अभी भी मौजूद है, दुषित जहरीला पानी को हटाए बिना कार्य किया जा रहा है।
2. **सीवेज लाइनों पर असत्य कथन (Contradiction of Para 7 & 8)** – प्रतिवादी का यह कहना है कि तालाब में कोई सीवेज प्वाइन्ट नही है जो गलत है। स्थानीय अस्पतालो और घरो का गंदा पानी अभी भी अनौपचारिक स्रोतो से तालाब में जा रहा है, जिससे वातावरण प्रदुषित हो रहा है जो कई नई गंभीर बिमारी का कारण बन गया है एवं पोखर को निरंतर क्षति हो रही है।
3. **निगरानी तंत्र का अभाव (Refutation of Para 11)** – सी.सी.टी.वी. (C.C.T.V) और चेतावनी बोर्ड लगाने के दावे केवल खानापूर्ति है, तालाब क्षेत्र में कचरा फेकने वालो पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है, जैसा कि वैधानिक प्रावधानो में वर्णित है।
4. **सौंदर्यीकरण और तकनीकि अनुमोदन में देरी (Response of Para 17)** – प्रतिवादी ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है न ही सीढ़ियो का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है और जो भी निर्माण हो रहा है उसमें घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, केवल न्यायालय के कार्यवाही से बचने के लिए कार्य शुरू कर देने का बहाना बना रहे है।

5. **स्वीकारोक्ति (Confession)** – प्रतिवादी द्वारा दिनांक 05.02.2026 को ऑडियो प्रचार एवं ZEE Bihar Jharkhand News Channel पर विडियो के माध्यम से दिनांक 12.02.2026 को समाचार कें माध्यम से वक्तव्य देकर पोखर में सिंरिज, दवाई की बोतल, पेड एवं मेडिकल अपशिष्ट मौजुद होने की स्वीकारोक्ति की गई है, जो शपथपत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

6. **जागरूकता अभियानों की असफलता (Refutation of Para 18-22)** – प्रतिवादी द्वारा वर्णित I.E.C गतिविधियॉ और डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण वार्ड नं0 – 13 में पूरी तरह विफल है। इसी शिथिलता के कारण निवासी तालाब के पास कचरा फेंकने को विवश है।

7. **समय सीमा में अनावश्यक विस्तार (Contradiction of Para 12)** – तालाब की बहाली के लिए सितम्बर 2026 तक का समय मांगना प्रतिवादी की कार्य के प्रति अरूचि और अत्यधिक देरी को दर्शाता है, जबकि तत्काल सुधार की मांग करती है।

निष्कर्ष –

प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत हलफनामा केवल उसकी प्रशासनिक विफलता, कर्तव्यहीनता को ढकने का एक साधन है साथ ही सरकारी पैसे का दुरूपयोग, अपने पद का दुरूपयोग करना है, धरातल का कोई भी कार्य संतोषजनक मानक के अनुरूप पूर्ण नही किया गया है।

प्रार्थना –

अतः माननीय से विनम्र प्रार्थना है कि प्रतिवादी के झुठे दावो को खारीज करने एवं प्रतिवादी पर जुर्माना लगाया जाए और SIT गठन कर तालाब का जीर्णोद्धार कर उसका संपूर्ण सौदर्यीकरण कराया जाए।

सत्यापन –

मैं दीक्षा भारती, वार्ड पार्षद – वार्ड नं0 – 13, नगर निगम, सहरसा सत्यापित करती हूँ कि इस प्रत्युत्तर की सामग्री मेरी जानकारी में सत्य है और कोई भी तथ्य छुपाया नही गया है।

NOTARY
Name:- Amrendra Kr. T...
Area:-Saha...
Reg. No:-1270...
Expiry Date
18-04-2028
GOVT. OF BIHAR

दीक्षा भारती
23/02/2026
शपथकर्ता

Sri /Smt Diksha Bharti
Who is Identified by
Advocate Saharsa Affirmed &
declared before me.
Amrendra Kumar Trivedi
NOTARY PUBLIC
Civil Court,Saharsa
23.2.25

Chandan Kumar Adv
23.2.25

दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद
वार्ड नं0– 13,
नगर निगम, सहरसा

आवास :
न्यू कॉलोनी, वार्ड नं0– 13,
सहरसा (बिहार)– 852201
मो0– : 9199990461
Email : chandansinghbjp04@gmail.com

पत्रांक– 05/26, सहरसा   दिनांक 23/02/2026

सेवा में,

श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय,

सहरसा ।

विषयः– **NGT कोलकाता केस नं. O.A. No- 21/2025/EZ में नगर आयुक्त सहरसा द्वारा दिनांक 15/12/2025 को दाखिल प्रति शपथ–पत्र दावे के अनुरूप न्यू कॉलोनी पोखर का दूषित एवं जहरीला पानी के साथ–साथ मेडिकल कचरा की निकासी नहीं करने के संबंध में ।**

प्रसंग :– **The National Green Tribunal EASTERN ZONE BENCH Kolkata-Original Application No- 21/2025/EZ**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेरे द्वारा वार्ड नं0–13, न्यू कॉलोनी अवस्थित पोखर में मेडिकल कचरा फैलाने से संबंधित NGT में परिवाद दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई NGT कोर्ट में लगातार की जा रही है । जिसमें दिनांक 15/12/2025 को प्रतिवादी सं0–04, नगर आयुक्त, नगर निगम, सहरसा के द्वारा दाखिल की गई प्रति शपथ–पत्र में पोखर में फेंके गए मेडिकल कचरे एवं कचरा के कारण दुषित और जहरीला हुए पानी की निकासी की बात कही गई और पोखर के सौंदर्यीकरण करने की बात भी कही गई, लेकिन प्रतिवादी सं0–04 नगर आयुक्त, सहरसा के द्वारा दिनांक 23.02.2026 आवेदन की तिथि तक मेडिकल कचरा से दुषित हो चुके पानी की निकासी नहीं कर सिर्फ अच्छे सीढ़ी पर तीन नम्बर ईंट बिछाकर माननीय कोर्ट के आँखों में धुल झोकने का काम किया जा रहा है । पोखर के पश्चिम भाग में स्थित डॉक्टर की क्लिनिक से लागातार शौचालय का पानी पोखर में बहाया जा रहा है, जिसका वीडियो और फोटोग्राफ साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है । नगर आयुक्त के द्वारा सिर्फ दिखावे के लिए दिनांक 05.02.2026 को ओडियो के माध्यम से एवं 12.02.2026 को Zee Bihar, Jharkhand न्यूज चौनल के माध्यम से वीडियो जारी कर

दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद
वार्ड नं0– 13,
नगर निगम, सहरसा

नगर निगम सहरसा

आवास :
न्यू कॉलोनी, वार्ड नं0– 13,
सहरसा (बिहार)– 852201
मो0– : 9199990461
Email : chandansinghbjp04@gmail.com

पत्रांक –20 दिनांक 23/02/2026

02.

पोखर में फेंके जा रहे मेडिकल कचरे (सिरिंज, दवाई की बोतलें, पैड आदि) फेकनें की बात परिवादी सं0–04 नगर आयुक्त, सहरसा के द्वारा स्वीकारोक्ति की गई है। जिसका साक्ष्य ओडियो और विडियो के रूप में मौजूद है। फिर भी नगर आयुक्त के द्वारा दुषित पानी का निकासी नहीं करवाना एवं मेडिकल कचरा फेंक रहे लोगों पर कानूनी कार्रवाई नहीं करना नगर आयुक्त के नियत पर संदेह उत्पन्न करता है और आसपास के डॉक्टर से मिलीभगत को प्रमाणित करता है। पोखर में वर्तमान में किये जा रहे कार्य सिर्फ दिखावे और कोर्ट को बरगलाने एवं सरकारी राशि के लूट के मंशा से की जा रही है। पोखर में किये जा रहे कार्य की गुणवक्ता की जांच वर्त्तमान उप विकास आयुक्त (DDC), सहरसा के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच कराई जाए जिससे पोखर की सफाई ईमानदारी से हो सके एवं वार्ड की जनता को भविष्य में छठ मनाने का मौका मिल सके। वर्त्तमान स्थिति में पोखर के दुषित पानी के कारण लोगों में चर्मरोग एवं गंभीर बीमारी होने की आशंका है, इसलिए पोखर के दुषित पानी की पूर्णतः निकासी कराकर 2 फीट मिट्टी की कटाई करवाकर, लोकल बालू डलवाने के बाद ही पोखर को सुरक्षित घोषित कर छठ मनाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

अतः इसके लिए श्रीमान् की आभारी रहूँगी।

विश्वासभाजिका

दीक्षा भारती
23/02/2026
दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद, वार्ड स0–13
नगर निगम, सहरसा.

प्रतिलिपि :–

1. HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER

2. HON'BLE MR. ISHWAR SINGH, EXPERT MEMBER
The National Green Tribunal EASTERN ZONE BENCH Kolkata

Email के माध्यम से प्रेषित।

17 Feb 2026 11:07:53 am
Naya Bazar
Saharsa
Kosi Division
Bihar

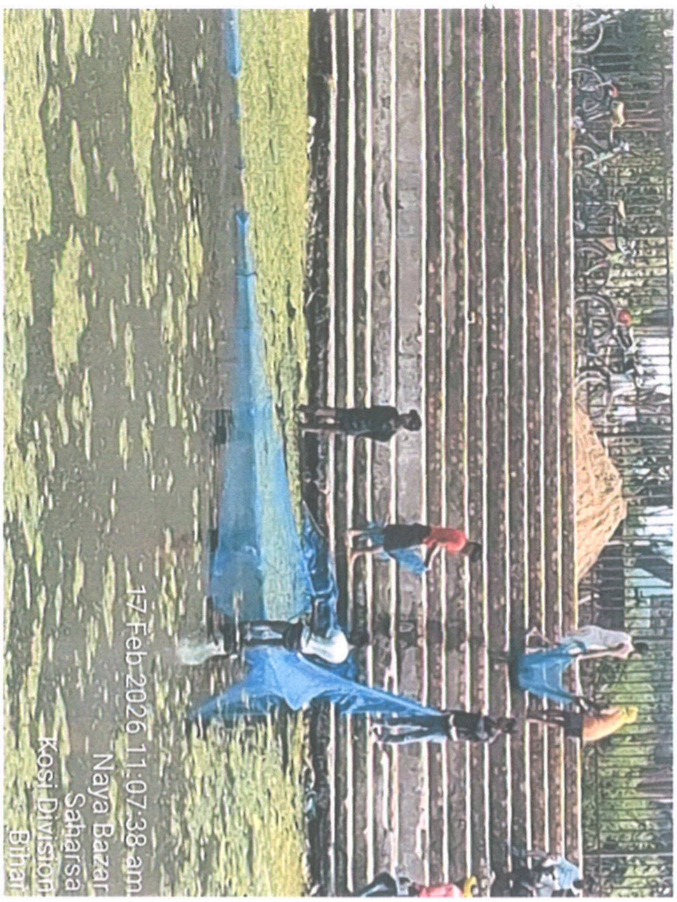
17 Feb 2026 11:07:38 am
Naya Bazar
Saharsa
Kosi Division
Bihar

17 Feb 2026 11:07:50 am
Naya Bazar
Saharsa
Kosi Division
Bihar

17 Feb 2026 11:07:45 am
Naya Bazar
Saharsa
Kosi Division
Bihar

वैष्णव होटल
16 Feb 2026 8:37:40 am
नया बाजार
सिटी पैलेस
कोसी डिवीजन
बिहार

12 Feb 2026 1:38:33 pm
Naya Bazar
Saharsa
Kosi Division
Bihar

16 Feb 2026 8:37:43 am
नया बाजार
सिटी पैलेस
कोसी डिवीजन
बिहार

वैष्णव होटल
16 Feb 2026 8:37:37 am
नया बाजार
सिटी पैलेस
कोसी डिवीजन
बिहार

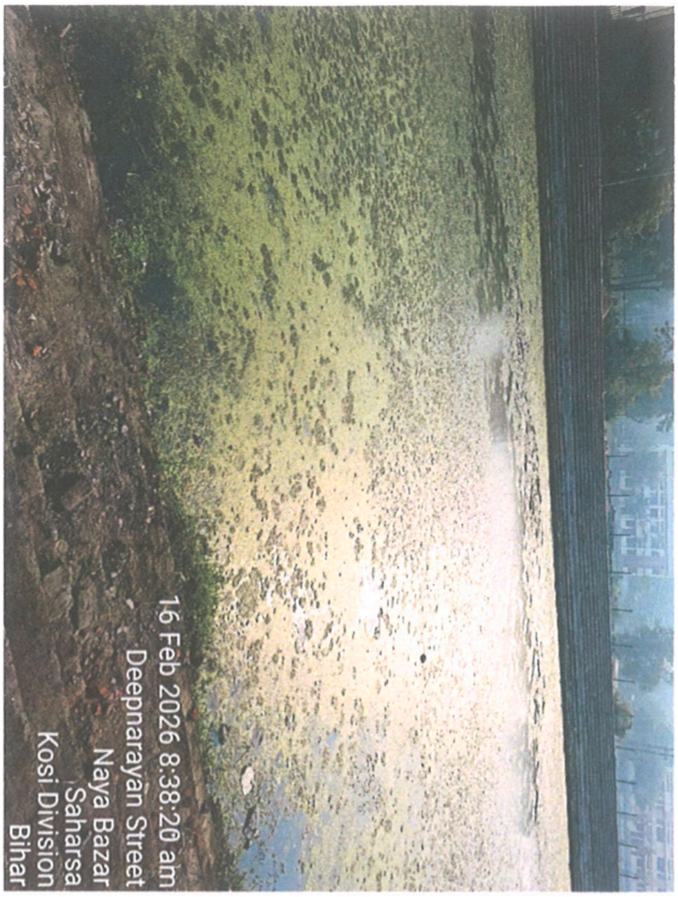
16 Feb 2026 8:38:20 am
Deepnarayan Street
Naya Bazar
Saharsa
Kosi Division
Bihar

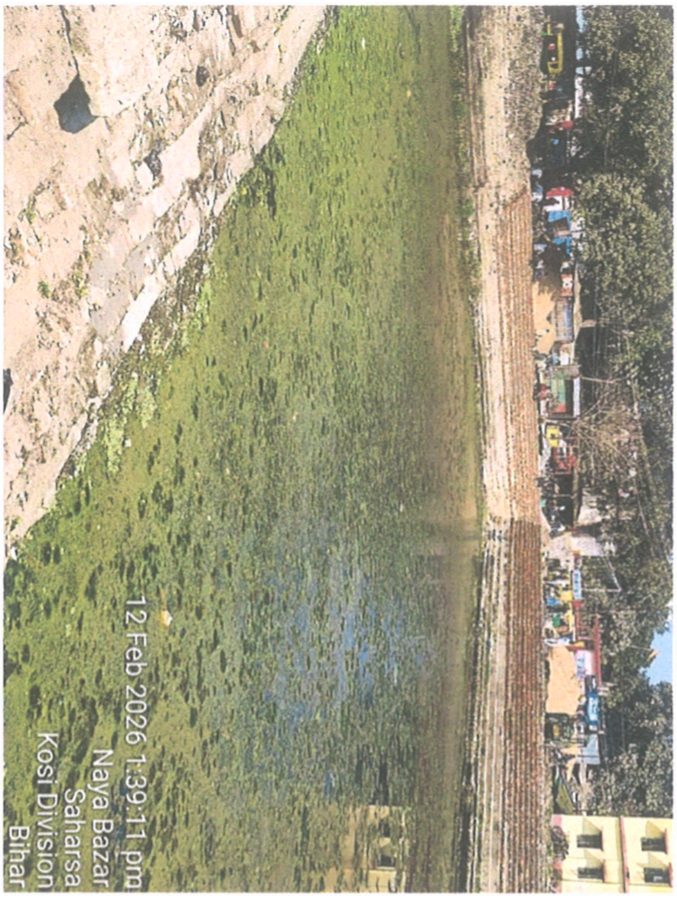
12 Feb 2026 1:39:11 pm
Naya Bazar
Saharsa
Kosi Division
Bihar

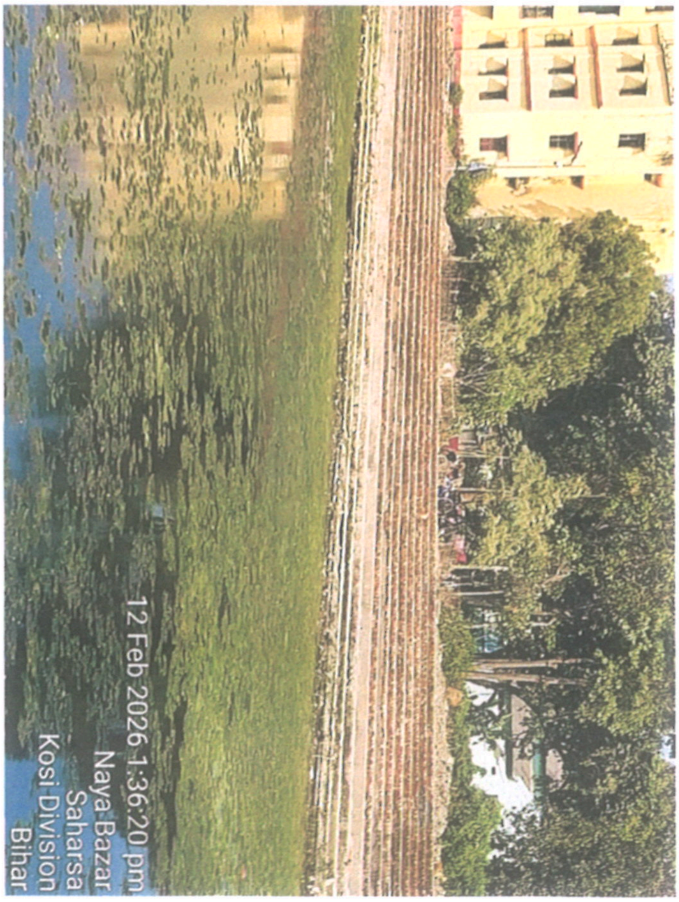
12 Feb 2026 1:36:20 pm
Naya Bazar
Saharsa
Kosi Division
Bihar

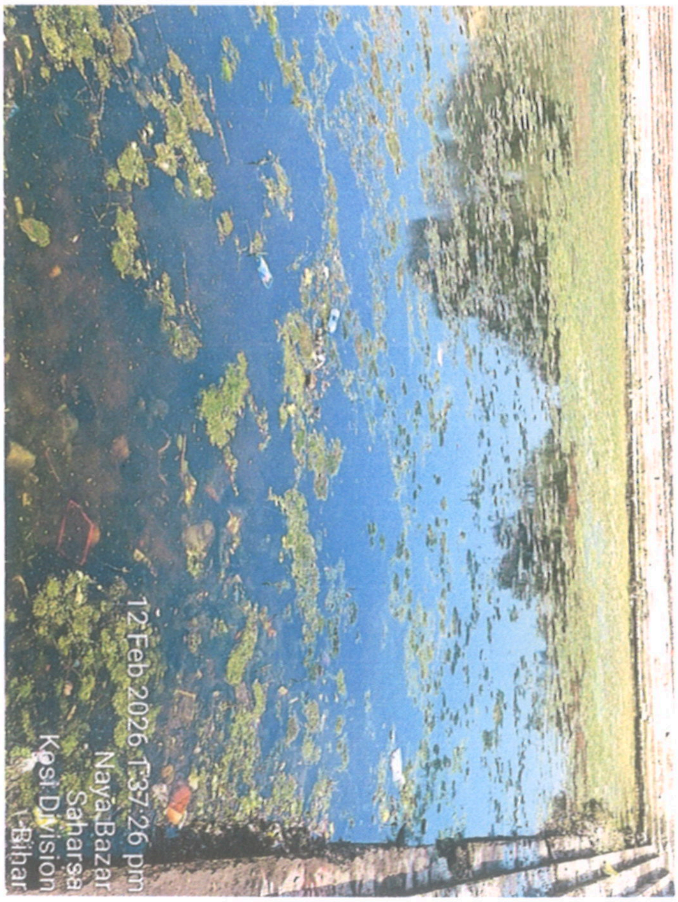
12 Feb 2026 1:37:26 pm
Naya Bazar
Saharsa
Kosi Division
Bihar

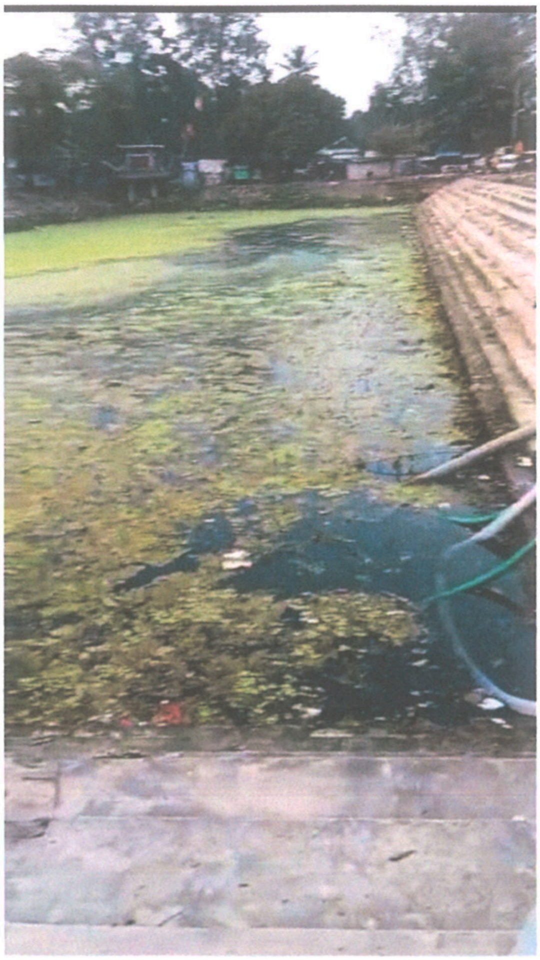

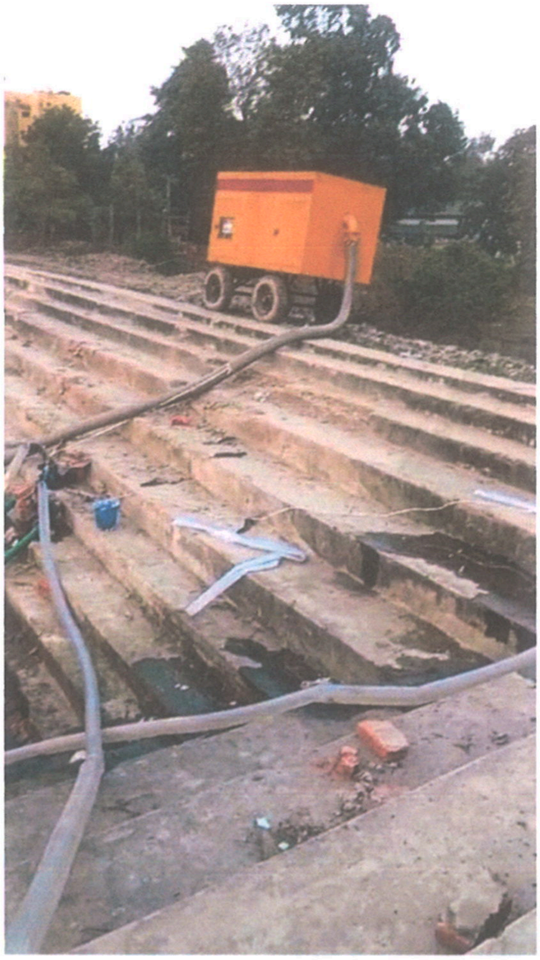

12 Feb 2026 1:39:05 pm
Naya Bazar
Saharsa
Kosi Division
Bihar

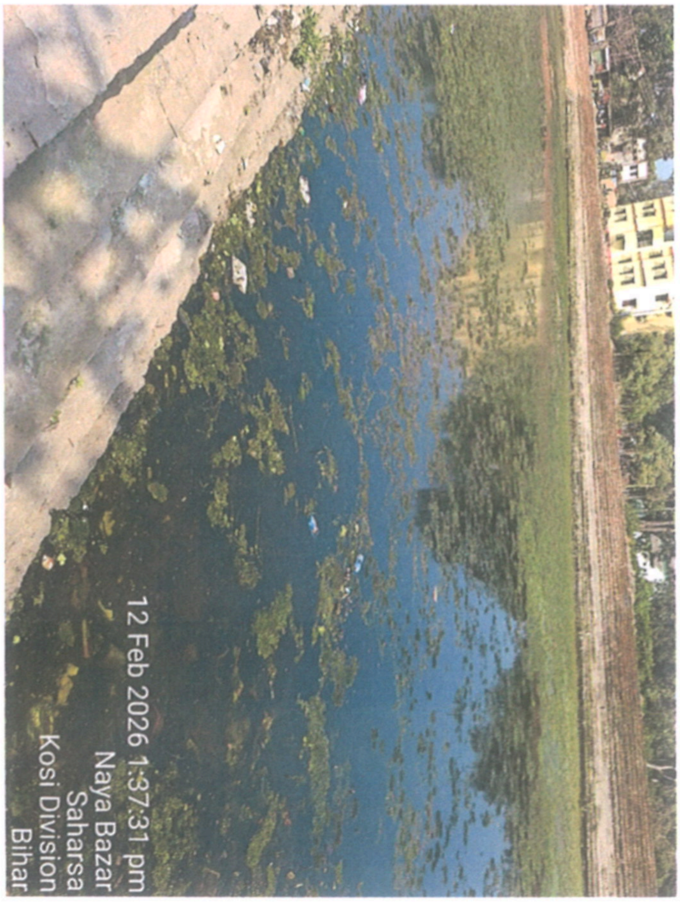
12 Feb 2026 1:37:31 pm
Naya Bazar
Saharsa
Kosi Division
Bihar

12 Feb 2026 1:36:13 pm
Naya Bazar
Saharsa
Kosi Division
Bihar

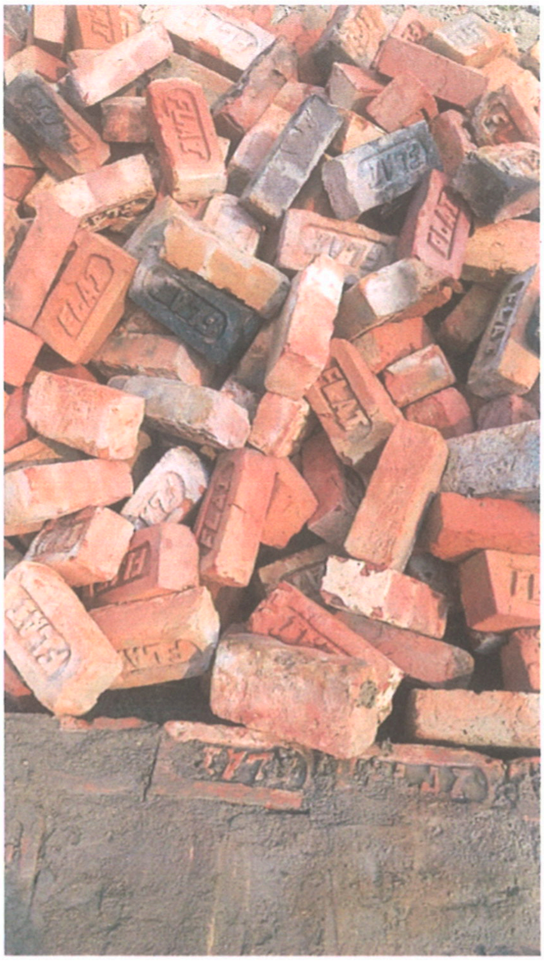

Item No.02 Court No.1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA
(THROUGH PHYSICAL HEARING WITH HYBRID MODE)

Original Application No.21/2025/EZ
(Earlier O.A. No.02/2025/PB)

Diksha Bharti Applicant

Versus

State of Bihar & Ors. Respondents

Date of hearing: 16.12.2025

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER**
HON'BLE MR. ISHWAR SINGH, EXPERT MEMBER

Applicant: Ms. Diksha Bharti, in person (through VC).

Respondents: Mr. Surendra Kumar, Advocate for respondents no.1 to 3 (physically in EZB).
Mr. Ghanshyam Pandey, Advocate for respondent no.4 (through VC).
Ms. Amrita Pandey, Advocate for respondent no.5 (through VC).

ORDER

1. It has been pointed out that inspection report dated 19.03.2025 was filed with the counter affidavit dated 30.04.2025 filed by respondent no. 5.

2. Counter Affidavit dated 15.12.2025 has been filed by respondent no. 4-Nagar Nigam, Saharsa, which is taken on record.

3. Counter affidavit has been filed by respondents no.1 and 2 but it has been put in defect due to annexures not attached, pagination not done etc.

4. The defect may be cured within one week and thereafter, the same may be placed on record.

5. Learned Counsel for respondent no. 4 seeks eight weeks' time for filing of additional response, which prayer is allowed.

6. No response has been filed by respondent no. 3. Response by respondent no. 3 may also be filed within eight weeks.

7. List on 25.02.2026 for further consideration.

Arun Kumar Tyagi, JM

Ishwar Singh, EM

December 16th, 2025
Original Application No.21/2025/EZ
(Earlier O.A. No.02/2025/PB)
R

दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद
वार्ड नं0– 13,
नगर निगम, सहरसा

आवास :
न्यू कॉलोनी, वार्ड नं0– 13,
सहरसा (बिहार)– 852201
मो0– : 9199990461
Email : chandansinghbjp04@gmail.com

पत्रांक – 05/26, सहरसा   दिनांक 23/02/2026

सेवा में,

श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय,
सहरसा ।

विषयः– NGT कोलकाता केस नं. O.A. No- 21/2025/EZ में नगर आयुक्त सहरसा द्वारा दिनांक 15/12/2025 को दाखिल प्रति शपथ–पत्र दावे के अनुरूप न्यू कॉलोनी पोखर का दूषित एवं जहरीला पानी के साथ–साथ मेडिकल कचरा की निकासी नहीं करने के संबंध में ।

प्रसंग :– **The National Green Tribunal EASTERN ZONE BENCH Kolkata-Original Application No- 21/2025/EZ**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेरे द्वारा वार्ड नं0–13, न्यू कॉलोनी अवस्थित पोखर में मेडिकल कचरा फैलाने से संबंधित NGT में परिवाद दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई NGT कोर्ट में लगातार की जा रही है । जिसमें दिनांक 15/12/2025 को प्रतिवादी सं0–04, नगर आयुक्त, नगर निगम, सहरसा के द्वारा दाखिल की गई प्रति शपथ–पत्र में पोखर में फेंके गए मेडिकल कचरे एवं कचरा के कारण दुषित और जहरीला हुए पानी की निकासी की बात कही गई और पोखर के सौंदर्यीकरण करने की बात भी कही गई, लेकिन प्रतिवादी सं0–04 नगर आयुक्त, सहरसा के द्वारा दिनांक 23.02.2026 आवेदन की तिथि तक मेडिकल कचरा से दुषित हो चुके पानी की निकासी नहीं कर सिर्फ अच्छे सीढ़ी पर तीन नम्बर ईंट बिछाकर माननीय कोर्ट के आँखों में धुल झोकने का काम किया जा रहा है । पोखर के पश्चिम भाग में स्थित डॉक्टर की क्लिनिक से लागातार शौचालय का पानी पोखर में बहाया जा रहा है, जिसका वीडियो और फोटोग्राफ साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है । नगर आयुक्त के द्वारा सिर्फ दिखावे के लिए दिनांक 05.02.2026 को ओडियो के माध्यम से एवं 12.02.2026 को Zee Bihar, Jharkhand न्यूज चौनल के माध्यम से वीडियो जारी कर

Recd copy Received
[signature] 24/02/2026

कृ0पृ0उ0.....2

दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद
वार्ड नं0– 13,
नगर निगम, सहरसा

आवास :
न्यू कॉलोनी, वार्ड नं0– 13,
सहरसा (बिहार)– 852201
मो0– : 9199990461
Email : chandansinghbjp04@gmail.com

पत्रांक –10 दिनांक 23/02/2026

02.

पोखर में फेंके जा रहे मेडिकल कचरे (सिरिंज, दवाई की बोतलें, पैड आदि) फेकनें की बात परिवादी सं0–04 नगर आयुक्त, सहरसा के द्वारा स्वीकारोक्ति की गई है । जिसका साक्ष्य ओडियो और विडियो के रूप में मौजूद है । फिर भी नगर आयुक्त के द्वारा दुषित पानी का निकासी नहीं करवाना एवं मेडिकल कचरा फेंक रहे लोगों पर कानूनी कार्रवाई नहीं करना नगर आयुक्त के नियत पर संदेह उत्पन्न करता है और आसपास के डॉक्टर से मिलीभगत को प्रमाणित करता है । पोखर में वर्तमान में किये जा रहे कार्य सिर्फ दिखावे और कोर्ट को बरगलाने एवं सरकारी राशि के लूट के मंशा से की जा रही है । पोखर में किये जा रहे कार्य की गुणवक्ता की जांच वर्त्तमान उप विकास आयुक्त (DDC), सहरसा के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच कराई जाए जिससे पोखर की सफाई ईमानदारी से हो सके एवं वार्ड की जनता को भविष्य में छठ मनाने का मौका मिल सके । वर्त्तमान स्थिति में पोखर के दुषित पानी के कारण लोगों में चर्मरोग एवं गंभीर बीमारी होने की आशंका है, इसलिए पोखर के दुषित पानी की पूर्णतः निकासी कराकर 2 फीट मिट्टी की कटाई करवाकर, लोकल बालू डलवाने के बाद ही पोखर को सुरक्षित घोषित कर छठ मनाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।

अतः इसके लिए श्रीमान् की आभारी रहूँगी ।

विश्वासभाजिका

दीक्षा भारती
23/02/2026
दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद, वार्ड स0–13
नगर निगम, सहरसा

प्रतिलिपि :–

1. HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
2. HON'BLE MR. ISHWAR SINGH, EXPERT MEMBER
The National Green Tribunal EASTERN ZONE BENCH Kolkata

Email के माध्यम से प्रेषित ।